<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 21/2023 (उदयपुर डिक्री)</u>

श्रीमती राधा बाई पत्नी सुन्दरलाल जी डांगी, निवासी भमरासिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर, हाल निवासी 48–बी, नाकोडा नगर, रकमपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती उदी बाई पत्नी रामलाल जी डांगी, निवासी दरोली, हाल निवासी बाठेडा की सराय, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. कन्ना पिता धन्ना जी डांगी, निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, दि. 21.12.2022 प्रकरण संख्या 200/2021

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री हिमांशू सोलंकी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बी. एल. जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 17–05–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करणपुर में आराजी नंबर 3199 से 3203 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, जबकि पूर्व में यह भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता धन्ना पिता रूपा डांगी के नाम दर्ज थी, जिससे वादिया का भी विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया के पिता के निधन के बाद प्रतिवादी अकेले के नाम दर्ज करवा ली तथा गलत अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

के आधार पर दिनांक 02–11–2011 को नुमाईशी विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया है, जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः वादिया को वाद वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 21–12–2022 को वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–02–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बी. एल. जैन उपस्थित हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री शंकरलाल डांगी को नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने हर पेशी पर उपस्थित नहीं रहने हेतु कहा था, लेकिन काफी समय से अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने पर दिनांक 14–01–2023 को न्यायालय गयी तो पता चला कि उनके अधिवक्ता की कोरोला के कारण मृत्यु हो चुकी है, जिससे अपीलान्ट की ओर से जवाबदावा एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकी। अपीलान्ट ने विवादित आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 02–11–2011 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा काबिज चली आ रही है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विक्रय पत्र निष्पादित होने के काफी अरसे बाद वाद प्रस्तुत किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की अनदेखी करते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादिया का विवादित आराजियात में जन्म से अधिकार होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में विवादित आराजी नंबर 3199 से 3203 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि धन्ना पिता रूपा डांगी के खातेदारी में दर्ज हैं तथा धन्ना के फोत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2602 दिनांक 05–09–2006 धन्ना के पुत्र कन्ना के नाम स्वीकृत हुआ है, जबकि वादिया उदीबाई धन्ना की जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार उसका भी विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया है, वह कन्ना के 1/2 हिस्से तक ही वैध है। विवादित आराजियात वादिया की मौरूसी भूमि होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद स्वीकार कर उसे विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21–12–2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती राधाबाई पत्नी सुन्दरलाल डांगी,
निवासी भमरासिया, तहसील वल्लभनगर,
हाल निवासी 48 बी, नाकोडा नगर,
रकमपुरा, जिला उदयपुर

बनाम

श्रीमती उदीबाई पत्नी रामलाल डांगी,
निवासी दरोली, तहसील वल्लभनगर,
हाल बाठेडा की सराय, तहसील
वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**21/23**....व नाराजगी डिगरी अदालत...**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....21**.....माह.....**12**.....**2022**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.17**....माह.....**.05**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हिमांशु सोलंकी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री बी. एल. जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21–12–2022 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**17.**.....माह.....**05**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested